



कार्यालय जिला अग्निशाम पदाधिकारी, औरंगाबाद।

पत्रांक: 28 दिनांक: 7-2-20

जिला अग्निशाम पदाधिकारी
सम्पर्क नं०-94731316
E-mail Id-----
औरंगाबाद -9204145620
दाउदनगर -9534848213

प्रेषक,

अग्निशामालय पदाधिकारी
औरंगाबाद (बिहार)।

सेवा में

D.A.V. पब्लिक स्कूल नेमा मोड़
कासमा, रफिगंज, औरंगाबाद।

संकेत-सहानिदेशक सह महासमादेष्टा का कार्यालय गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ बिहार, पटना का झापांक 45/सी0 दिनांक 20.05.2019

विषय- अग्नि सुरक्षा तथा अग्निशामक यंत्र का जाँच प्रतिवेदन तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि अग्निशामालय पदाधिकारी औरंगाबाद द्वारा आपके भवन में रखे अग्निशामक यंत्रों की जाँच की गयी। जाँचों परान्त सभी अग्निशामक यंत्र चालू एवं कियाशिल पाया गया जो निर्धारित अवधि तक के लिए सही है। अग्निशामक वाहन को आपके भवन/प्रस्थान/संस्थान तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है।

अतएव उपरोक्त जाँच के आधार पर आपको निम्न शर्तों के अधिन जाँच प्रतिवेदन/ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता

1. व्यवस्थापक राष्ट्रिय भवन संहिता 2005/2016 के गाईड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
 2. संधारण के दौरान अग्निशामक यंत्रों में आने वाली खराबी की सारी जवाबदेही व्यवस्थापक पर होगी।
 3. व्यवस्थापक वर्ष दो बार डबवा मपज क्तपसस का आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे।
 4. व्यवस्थापक वर्ष में दो बार इस कार्यालय ये अग्निशामक यंत्रों एवं व्यवस्था की जाँच आवश्यक करा कर प्रमाण-पत्र लेना सुनिश्चित करेंगे।
 5. बिहार पब्लिक मजिल बज 2014 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
 6. बिहार भवन संहिता 2014 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त शर्तों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करेंगे। निर्देश की अवहेलना अथवा शिथिलता की स्थिति में निर्गत जाँच प्रतिवेदन/अनापत्ति प्रमाण स्वतः निरस्त माना जाएगा।

निर्देश- आपका अग्निशामक यंत्र का जाँच प्रतिवेदन तब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ ही

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि अग्निशामालय पदाधिकारी औरंगाबाद द्वारा आपके

भवन में रखे अग्निशामक यंत्रों की जाँच की गयी। जाँचों परान्त सभी अग्निशामक यंत्र चालू एवं कियाशिल पाया गया जो निर्धारित अवधि तक के लिए सही है। अग्निशामक वाहन को आपके भवन/प्रस्थान/संस्थान तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है।

अतएव उपरोक्त जाँच के आधार पर आपको निम्न शर्तों के अधिन जाँच प्रतिवेदन/ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता

प्रतिलिपि- (1) राज्य अग्निशाम पदाधिकारी बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

(2) जिला पदाधिकारी औरंगाबाद को कृपया सूचनार्थ।

(3) पुलिस अधिक्षक औरंगाबाद को कृपया सूचनार्थ।

(4) जिला अग्निशाम पदाधिकारी औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।

आपका अग्निशामक यंत्र का जाँच प्रतिवेदन तब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ ही

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि अग्निशामालय पदाधिकारी औरंगाबाद द्वारा आपके

भवन में रखे अग्निशामक यंत्रों की जाँच की गयी। जाँचों परान्त सभी अग्निशामक यंत्र चालू एवं कियाशिल पाया गया जो निर्धारित अवधि तक के लिए सही है। अग्निशामक वाहन को आपके भवन/प्रस्थान/संस्थान तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है।

अतएव उपरोक्त जाँच के आधार पर आपको निम्न शर्तों के अधिन जाँच प्रतिवेदन/ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता

प्रतिलिपि- (1) राज्य अग्निशाम पदाधिकारी बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

(2) जिला पदाधिकारी औरंगाबाद को कृपया सूचनार्थ।

(3) पुलिस अधिक्षक औरंगाबाद को कृपया सूचनार्थ।

(4) जिला अग्निशाम पदाधिकारी औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।

आपका अग्निशामक यंत्र का जाँच प्रतिवेदन तब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ ही

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि अग्निशामालय पदाधिकारी औरंगाबाद द्वारा आपके

भवन में रखे अग्निशामक यंत्रों की जाँच की गयी। जाँचों परान्त सभी अग्निशामक यंत्र चालू एवं कियाशिल पाया गया जो निर्धारित अवधि तक के लिए सही है। अग्निशामक वाहन को आपके भवन/प्रस्थान/संस्थान तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है।

अतएव उपरोक्त जाँच के आधार पर आपको निम्न शर्तों के अधिन जाँच प्रतिवेदन/ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता

संभागाधिकारी
7-2-20
अग्निशाम पदाधिकारी
औरंगाबाद